

हिंदी साहित्य (सामान्य परिचय)

साहित्य क्या है?

'साहित्य' शब्द सहित से बना है। सहित के दो अर्थ हैं- साथ-साथ और हित-युक्त। पहले अर्थ के अनुसार साहित्य में दो तत्व हमेशा एक साथ चलते हैं- शब्द और अर्थ। साहित्य में शब्द और अर्थ का प्रयोग एक अलग खूबसूरती के साथ किया जाता है। शब्द और अर्थ दोनों सुंदरता लाने में परस्पर प्रतिस्पर्धी रहते हैं। सुंदर शब्द और सुंदर अर्थ का सहित या साथ-साथ होना ही साहित्य है। जैसे-

**बाँधो न नाव इस ठाँव, बंधु!
पूछेगा सारा गाँव, बंधु!**

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की इस कविता में प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति के कारण इसमें अर्थ की सुंदरता आ गई है। इसमें जिस प्रकार का अर्थ है कवि ने उसी प्रकार के सुंदर शब्दों का विन्यास भी किया है।

साहित्य का दूसरा अर्थ 'सहित' अर्थात् हित-युक्त है। इसका आशय है कि साहित्य सबके हित व कल्याण की भावना लेकर चलता है। उसके मूल में सामाजिकता व सामूहिकता का भाव है।

साहित्य के दो पक्ष होते हैं- 1. कला पक्ष तथा 2. भाव पक्ष। इन्हीं को अभिव्यक्ति पक्ष और अनुभूति पक्ष भी कहा जाता है। अर्थ की सुंदरता से उसका भाव पक्ष मनोहर होता है जबकि शब्द की सुंदरता से उसका कला पक्ष उत्कृष्ट बनता है। भाव या अनुभूति पक्ष का संबंध यदि अंतरंग तत्वों से है तो अभिव्यक्ति या कला पक्ष का संबंध बहिरंग तत्वों से है।

साहित्य को पढ़कर या सुनकर अथवा नाटक को देखकर हम जिस सौंदर्य का अनुभव करते हैं उससे हमें आनंद मिलता है। पुराने आचार्यों ने सौंदर्य के इस अनुभव (सौंदर्यनुभूति अथवा आनंदानुभूति) को ही 'आस्वाद' कहा है। यह आस्वाद ही साहित्य का सार है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि साहित्य शब्द और अर्थ दोनों के समन्वित सौंदर्य से निर्मित ऐसी मंगलकारी रचना है, जो रचनाकार के भावों, विचारों या आदर्शों को पाठक या समाज तक पहुंचाती (संप्रेषित) करती है।

साहित्य का प्रयोजन/उद्देश्य

साहित्य का प्रयोजन दो दृष्टियों से बताया जा सकता है-

1. निर्माण (रचना) की दृष्टि से तथा
2. ग्रहण की दृष्टि से।

कोई भी साहित्यकार रचना क्यों करता है? क्योंकि वह अपनी बात दूसरो तक पहुंचाना चाहता है। इस प्रकार साहित्यकार के भावों या विचारों का संप्रेषण साहित्य का एक प्रयोजन है। अपनी बात दूसरा तक संप्रेषण से साहित्यकार को आत्मिक सुख अथवा संतोष मिलता है।

गोस्वामी तुलसीदास ने इसी को 'स्वांतः सुखाय' कहा है। इसके साथ ही साहित्यकार को अपनी रचना से यश भी मिलता है। इसीलिए पुराने आचार्यों ने आनंद की प्राप्ति के साथ यश और अर्थ की प्राप्ति को भी साहित्य के प्रयोजनों में शामिल किया है। किन्तु यह सत्य है कि कोई भी साहित्यकार मुख्य रूप से यश या धन पाने के लिए रचना नहीं करता।

अब यदि ग्रहण की दृष्टि से विचार करें तो साहित्य के अध्ययन से हमें क्या मिलता है? साहित्य के अध्ययन से हम अपने समय, समाज और संसार के विषय में ऐसी अनेक बातें जान सकते हैं जो हमें पहले विदित नहीं थीं। साहित्य हमें बताता है कि मनुष्य को किन परिस्थितियों में कैसा व्यवहार या आचरण करना चाहिए।

साहित्य मस्तिष्क की उर्वरता और ज्ञान की वृद्धि के लिए है। वह मनुष्य में साहस और शक्ति का संचार करता है, उसे नैतिक दृष्टि से अधिक सबल बनाता है। वह हमारे जीवन-संसार में जो कुछ सुंदर, भव्य और उदात्त है, उससे हमारा परिचय कराता है जिसके द्वारा हम अपने व्यक्तित्व को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह साहित्य हमें स्वार्थ और संकीर्णता से मुक्त होने की दिशा में आगे ले जाता है। सबसे

बढ़कर साहित्य हमें ऐसा सात्विक आनंद प्रदान करता है जिसे संसार की अन्य भौतिक वस्तुओं के द्वारा हम नहीं पा सकते।

आचार्य भामह ने साहित्य के दो प्रयोजन बताए हैं- कीर्ति और प्रीति। इसके साथ ही पुराने आचार्यों ने पुरुषार्थ की सिद्धि को भी साहित्य का प्रयोजन माना है। पुरुषार्थ का आशय है मानव-जीवन का लक्ष्य। हमारी परंपरा में मानव-जीवन के चार पुरुषार्थ माने गए हैं- धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष।

साहित्य के अध्ययन से हमें न केवल इन चारों पुरुषार्थों की जानकारी मिलती है बल्कि इनको सही रूप में प्राप्त करने की प्रेरणा और दिशा भी मिलती है। इन सब प्रयोजनों के उद्देश्यों की पूर्ति के द्वारा साहित्य एक बेहतर समाज की रचना में अपनी भूमिका निभाता रहा है।

तुलसीदास के 'रामचरितमानस' ने करोड़ों भारतीय नर-नारियों को सच्ची राह दिखायी। कबीर की साखियों या दोहों ने पाखंड और कुरीतियों की राह से हटने की प्रेरणा दी है। भारतेन्दु, प्रेमचंद, पंत, प्रसाद, निराला, आदि साहित्यकारों का साहित्य पढ़कर हम साहित्य और उदात्त जीवन-मूल्यों की ओर अग्रसर होते हैं।

साहित्य की विधाएं

पद्य-विधाएं : प्रबंधकाव्य

प्रबंधकाव्य एक ऐसी साहित्यिक रचना है जिसमें सभी पद्य एक कथा, विचार या भाव के माध्यम से एक-दूसरे से संबद्ध रहते हैं। उसमें आरंभ से अंत तक एक मूल भाव बना रहता है। प्रबंध के दो मुख्य भेद हैं- महाकाव्य तथा खंडकाव्य।

महाकाव्य

महाकाव्य का अर्थ है महान काव्य। महाकाव्य में आकार, कथानक, पात्र और शैली की दृष्टि से महत्ता रहती है अर्थात् इसमें महापुरुषों का प्रेरणादायक चरित्र होता है, कहानी भी बड़ी होती है तथा इसका आकार भी बड़ा होता है। महाकाव्य विभिन्न अध्यायों या खंडों (सर्ग) में बंधा होता है। इसमें जो कथा ली जाती है वह इतिहास-प्रसिद्ध भी हो सकती है या प्राचीन कथा को कवि-कल्पना के समावेश के साथ भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें किसी एक महान् व्यक्ति का या

कुछ महान् व्यक्तियों का चरित्र प्रस्तुत किया जाता है। कथानक का विकास इस प्रकार होता है कि उसमें मनुष्य जीवन और सृष्टि के विभिन्न पक्षों के सुंदर वर्णन बीच-बीच में जुड़ते चले जाते हैं। महाकाव्य में सभी रों की अभिव्यक्ति होती है, पर शृंगार या वीर आदि किसी एक रस की प्रधानता हो सकती है। इसी प्रकार इसमें चारों पुरुषार्थों का वर्णन रहता है और उनमें कोई एक पुरुषार्थ प्रधान हो सकता है।

महापुरुषों के चरित्र या उदात्त चरित्र की प्रस्तुति महाकाव्य में रहनी चाहिए। उसमें मनुष्य-जीवन और जगत के विभिन्न पक्षों का चित्रण भी अपेक्षित है। महाकाव्य में आस्वाद या सौंदर्यानुभूति की दृष्टि से विविधता होनी चाहिए। डा० भगीरथ मिश्र ने महाकाव्य का स्वरूप बताते हुए चार आधारभूत तत्व बताए हैं- महान कथानक, महान चरित्र, महान संदेश और महान शैली।

इस प्रकार 'महाकाव्य कथानक की दृष्टि से एक ऐसी सुसंबद्ध रचना है, जिसमें उत्कृष्ट या उदात्त भावों की अभिव्यक्ति हो।'

हिन्दी के पुराने महाकाव्यों में चंद्रबदाई का 'पृथ्वीराजरासो', जायसी का 'पद्मावत' तथा गोस्वामी तुलसीदास का 'रामचरितमानस' प्रसिद्ध है। आधुनिक काल के महाकाव्यों में अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध का 'प्रियप्रवासः', मैथिलीशरण गुप्त का 'साकेत', जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' आदि का नाम लिया जा सकता है।

खंडकाव्य

खंड का अर्थ अंश या हिस्सा होता है। महाकाव्य का ही आंशिक रूप से अनुकरण करने वाली विधा खंडकाव्य कही जाती है। खंडकाव्य में कोई एक प्रसंग, घटना, किसी बड़ी कथा का एक अंश या किसी एक विषयवस्तु का वर्णन हो सकता है, महाकाव्य की भांति इसमें जीवन की समग्रता और पूरी कथा नहीं होती।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का 'जयद्रथ वध' एक खंडकाव्य है, क्योंकि इसमें महाभारत की पूरी कथा न होकर केवल अर्जुन के द्वारा जयद्रथ के मारे जाने की घटना का ही वर्णन किया गया है। इसी प्रकार गुप्तजी की 'पंचवटी' और रामधारी सिंह 'दिनकर' का 'रश्मि' भी खंडकाव्य है।

मुक्तक काव्य

मुक्तक स्वतंत्र तथा अपने आप में पूरी रचना है। एक ऐसा पद्य या कुछ पद्यों का समूह, जो अपने आप में पूरा हो, मुक्तक कहलाता है। इसमें सिलसिलेवार कोई कथा नहीं होती। मुक्तक के दो प्रकार हैं- गेय मुक्तक तथा अगेय मुक्तक।

पद- कबीर, सूर, तुलसी, मीरा आदि भक्त कवियों के गीतों को पद कहा गया है। पद आराध्य के प्रति समर्पण के भाव से रचे जाते हैं। कबीर, सूर, मीरा, रैदास, आदि के पद इसके उत्तम उदाहरण हैं। जैसे, तुलसीदास का यह पद-

मन पछिते हैं अवसर वीते।

दुर्लभ वेह पाइ हरिपद भजु, करम, वचन अरू ही ते।

गीत

मुक्तक का ऐसा रूप जो गाए जाने के लिए ही हो, गीत कहलाता है। प्रत्येक गीत में दो भाग रहते हैं- स्थायी और अंतरा। पहली पंक्ती जिसे बाद में बार-बार दोहराया जाता है, स्थायी कहलाती है। शेष पंक्तियों अंतरा कहलाती हैं। गीत में स्थायी और अंतरों की सभी पंक्तियों गायन के अनुसार ताल, लय, तथा छंद में बँधी होती है। अंत्यानुप्रास (तुक) का निर्वाह भी गीत की सभी पंक्तियों में होता है। आधुनिक गीत में ऊपर बताए गए लक्षणों के अतिरिक्त निम्नलिखित चार तत्व विशेष रूप से मिलते हैं।

1. वैयक्तिकता
2. भावमयता
3. प्रवाहमयता
4. संक्षिप्तता

प्रगीत

मुक्तक श्रेणी की रचनाओं में प्रगीत अपेक्षाकृत नई विधा है। इसे गीतिकाव्य भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे 'लिरिक' कहा जाता है। प्रगीत में गीत के सभी लक्षण लागू होते हैं, पर इसका गाया जाना अनिवार्य नहीं है। प्रगीत एक ऐसी लयबद्ध पद्य रचना है, जो छंद या मुक्त छंद में भी हो सकती है तथा जिसमें कवि की निजी भावनाएं व्यक्त होती हैं। भावनाओं की तीव्रता

इसकी विशेषता है। निराला की रचना 'खेह निर्झर बह गया है' प्रगीत का अच्छा उदाहरण है-

प्रेह-निर्झर बह गया है।
रेत ज्यों तन रह गया है।

आधुनिक काव्य की अन्य विधाएँ लंबी कविता

आधुनिक साहित्य में खंडकाव्य का स्थान लंबी कविता ने ले लिया है। लंबी कविता प्रायः मुक्त छंद में लिखी जाती है। यह वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावप्रधान हो सकती है। निराला की 'राम की शक्ति पूजा', मुक्तिबोध की अंधेरे में या अज्ञेय की 'असाध्य वीणा' लंबी कविता के उदाहरण हैं।

चतुष्पदी

मुक्तक के अंतर्गत प्रगीत का ही एक प्रकार है। इसका विशेष स्वरूप यह है कि इसमें चार ही पंक्तियों होती हैं। यह चार पंक्तियों की अपने आप में संपूर्ण कविता है। इसे गाया भी जा सकता है और इसका सस्वर पाठ भी याद किया जा सकता है।

अतुकांत कविता

तुक या अंत्यानुप्रास अनेक छंदों में रहता है। आधुनिक कविता में ऐसे छंदों का प्रचलन हुआ, जिनमें तुक का निर्वाह नहीं किया गया। ऐसी कविता को अतुकांत कविता कहा जाता है। अतुकांत कविता में छंद का अनुशासन रहता है।

ग़ज़ल

ग़ज़ल की विधा फारसी तथा उर्दू भाषाओं के साहित्य में मुख्य रूप से विकसित हुई है। यह एक ऐसी पद्यात्मक रचना जिसमें नायिका के सौन्दर्य एवं उसके प्रति उत्पन्न प्रेम का वर्णन हो। आजकल हिंदी तथा अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी ग़ज़लें लिखी जा रही हैं। ग़ज़ल में दो चरणों की एक ईकाई होती है, जिसे 'शेर' कहते हैं।

शेर का एक चरण 'मिसरा' कहलाता है। आमतौर पर एक ग़ज़ल में पाँच से ग्यारह (5-11) तक शेर होते हैं। ग़ज़ल का

पहला शेर 'मतला' कहलाता है और अंतिम शेर 'मक्ता' कहलाता है। मक्ते में शायर/कवि अपना उपनाम (तखल्लुस) देता है।

हर शेर के दूसरे मिसरे के अंत में एक या एक से अधिक शब्द दुहराए जाते हैं, जिन्हें 'रदीफ़' कहते हैं। रदीफ़ के पहले 'काफ़िया' होता है। 'काफ़िया' एक जैसी ध्वनि वाला शब्द है। मतले के दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया का निर्वाह किया जाता है, जबकि बाकी शेरों में से हर एक के दूसरे मिसरे में रदीफ़ और काफ़ियाका निर्वाह होता है। ग़ज़ल का उदाहरण-

इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है
नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है।

एक चिनगारी कहीं से ढूँढ लाओ दोस्तों,
इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है।

हिंदी के सुप्रसिद्ध ग़ज़लकार दुष्यंत कुमार की इस ग़ज़ल के मतले (प्रथम शेर) में 'आती और टकराती' काफ़िया है तथा 'तो है' रदीफ़ है। आगे के हर शेर के दूसरे मिसरे में बाती तो है, गाती तो है, जाती तो है आदि शब्दों के द्वारा रदीफ़ और काफ़िया का निर्वाह हुआ है। हिंदी में दुष्यंत कुमार, शमशेरबहादुर सिंह, त्रिलोचन, अदम गोंडवी, शलभ श्रीरामसिंह आदि कवियों ने राजलें लिखी हैं।

गद्य की विधाएं

गद्य शब्द गढ़ (बोलना) धातु से बना है। जो बोला जाए या कहा जाए, वह गद्य है। पद्य का सरवर पाठ किया जाता है और यह छंद या लय में बंधा रहता है जबकि गद्य छंद में बंधा हुआ नहीं होता। आज के साहित्य में गद्य में अनेक विधाएं विकसित हो गई हैं। इनमें से मुख्य विधाएं हैं- निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, यात्रवृत्तांत, रिपोर्ताज, डायरी, पत्र-साहित्य, साक्षात्कार, फीचर तथा आलोचना।

कहानी

कहानी गद्य का ऐसा प्रकार है, जिसमें जीवन के किसी एक प्रसंग, किसी एक घटना या मनःस्थिति का वर्णन होता है। यह वर्णन अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। कहानी एक ऐसा आख्यान है, जो यथार्थ का उद्घाटन करता है। आकार में छोटा

होता है, जिसे एक बार में पढ़ा जा सकता है और जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव डालता है। आजकल लंबी कहानियों भी लिखी जा रही हैं, जिन पर यह परिभाषा पूरी तरह लागू नहीं होती।

कहानी के तत्व

1. कथानक-कहानी का कथानक किसी एक प्रसंग या कुछ प्रसंग पर आधारित होता है। उसमें जीवन का एक अंश दिखाया जाता है। इसमें किसी एक घटना का चित्रण होता है अथवा किसी विशेष प्रसंग में पात्र की मनःस्थिति का चित्रण भी हो सकता है।

2. पात्र या चरित्र- चित्रण-कहानी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होती। पात्र दो प्रकार के होते हैं- वर्गीय पात्र तथा विशिष्ट पात्र। वर्गीय पात्र किसी वर्ग विशेष के प्रतिनिधि होते हैं- जैसे पूजापति वर्ग, श्रमिक वर्ग, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, अध्यापक वर्ग आदि। इनमें अपने-अपने वर्ग की विशेषताएं रहती हैं। विशिष्ट पात्र में असाधारण या निजी विशेषताएं होती हैं।

3. संवाद- पात्रों की आपसी बातचीत से कहानी में रोचकता और आकर्षण उत्पन्न होता है। संवादों के माध्यम से इन पात्रों की अपनी-अपनी विशेषताओं को भी पाठक जान सकता है। कहानी में बहुत लंबे-लंबे संवादों के लिए गुंजाइश नहीं होती। संवाद छोटे परंतु मन पर छाप छोड़ने वाले होने चाहिए।

4. वातावरण- कहानी में जिस प्रकार का कथानक है, उसके अनुरूप वातावरण को चित्रण होना चाहिए। यह वातावरण सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आदि कई प्रकार का हो सकता है। आधुनिक शब्दावली में इसे परिवेश कहा जाता है।

5. भाषा-शैली- कहानीकार अपनी रुचि, कथानक तथा वातावरण के अनुरूप विभिन्न प्रकार की शैलियों को कहानी में अपनाता है। रचना विधान की दृष्टि से मुख्य रूप से कहानी में वर्णनात्मक, संवादात्मक, आत्मकथात्मक, पत्र और डायरी आदि शैलियों का प्रयोग होता है। लेखक अपनी रुचि, तथा कहानी के कथानक, देशकाल और वातावरण के अनुसार काव्यात्मक, अलंकारप्रधान या सरल बोलचाल की भाषा का उपयोग करता है।

6. उद्देश्य- कहानी का प्रमुख उद्देश्य हैं कलात्मक ढंग से जीवन की व्याख्या करना। कहानीकार किसी घटना या प्रसंग के चित्रण द्वारा किसी विशेष भाव या विचार का संप्रेषण कर किसी समस्या की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित करता है और सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है। साथ ही कहानी और उपन्यास का एक उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन करना भी है।

कहानी के प्रकार

विषय की दृष्टि से कहानी मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि कई प्रकार की हो सकती हैं। जैनेंद्र कुमार की कहानियों मनोवैज्ञानिक कहानियाँ के अच्छे उदाहरण हैं। प्रसाद की 'ममता' ऐतिहासिक कहानी है। प्रेमचंद की 'बड़े घर की बेटी' एक पारिवारिक कहानी है। प्रेमचंद की ही 'कफ़न' एक सामाजिक कहानी है।

उपन्यास

कहानी के समान उपन्यास भी कथा-प्रधान विधाओं में से एक है। यह आधुनिक विधा है। यह माना जाता है कि आज के साहित्य में महाकाव्य का स्थान उपन्यास ने ले लिया है। इसलिए इसे 'मानव जीवन का गद्यात्मक महाकाव्य' भी कहा जाता है। यह कहानी की अपेक्षा आकार और कथानक के प्रसार में विशाल होता है। इसमें जीवन का समग्र और यथार्थ रूप प्रस्तुत किया जाता है। उपन्यास में समाज, इतिहास, और संस्कृति का व्यापक अध्ययन रचनात्मक रूप ग्रहण करता है।

उपन्यास के तत्व

कहानी के समान ही उपन्यास में भी निम्नलिखित तत्व आवश्यक हैं- कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन, देश- काल और वातावरण, शैली तथा उद्देश्य। उपन्यास में कथा का आरंभ या भूमिका, संघर्ष या प्रयास, चरम बिंदु, आरोह तथा अवसान या समाप्ति-इन पाँच स्थितियों के द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाता है। कहानी के पात्र की तुलना में उपन्यास के पात्र जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्र से संबंधित होते हैं।

उपन्यास के प्रकार

उपन्यास के भेद दो आधारों पर किया जाता है-विषयवस्तु के आधार पर तथा शिल्प के आधार पर। विषयवस्तु के आधार

पर मुख्य रूप से उपन्यास के ये भेद माने जाते हैं- सामाजिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक तथा जीवनी-परक। प्रेमचंद के 'गबन' और 'गोदान' जैसे उपन्यास सामाजिक उपन्यास हैं। यशपाल का 'झूठा सच', भागवतीचरण वर्मा का 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते' तथा भीष्म साहनी का 'तमस' राजनैतिक उपन्यास के उदाहरण कहे जा सकते हैं। वृंदावनलाल वर्मा के 'झाँसी की रानी' तथा 'मृगनयनी' ऐतिहासिक उपन्यास हैं। इलाचंद्र जोशी का 'संयासी' मनोवैज्ञानिक उपन्यास है तो फणीश्वर नाथ रेणु का

5. ललित निबंध - ललित का अर्थ होता है सुंदर। वास्तव में ललित निबंध में निबंधकार के ऊपर बताए गए चारों प्रकार की विशेषताओं को अपने व्यक्तित्व, चिंतन, संवेदनशीलता तथा अनुभूति के द्वारा इस तरह समन्वित कर देता है कि पाठक कहानी, नाटक और कविता का एक साथ रसास्वादन करने लगता है।

निबंधकार के अपने व्यक्तित्व या उसकी वैयक्तिकता की इन निबंधों पर सुस्पष्ट छाप होती है। स्वछंदता, कल्पना और लोक जीवन से लगाव ललित निबंध की विशेषताएं हैं। हजारीप्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल और आम फिर बौरा गए, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है तथा कुबेरनाथ राय का रस-आखेटक आदि ललित निबंध के उदाहरण हैं।

निबंध की शैलियों

निबंध की रचना अनेक शैलियों में होती हैं। इन शैलियों का विभाजन दो वर्गों में किया जा सकता है- बंध की दृष्टि से तथा स्वरूप की दृष्टि से। बंध की दृष्टि से मुख्य रूप से निबंधों में निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग होता

1. व्यास शैली- व्यास का अर्थ विस्तार है। व्यास शैली में विषय को अलग-अलग कोटियों में विभाजित करके विस्तार से समझाया जाता है। वर्णनात्मक या विवरणात्मक निबंधों के लिए शैली अनुकूल होती है। कभी-कभी भावात्मक निबंधों में भी लेखक इसका आश्रय लेता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के जिन विवरणात्मक निबंधों को ऊपर उदाहरण दिया गया है उनमें इस शैली का प्रयोग हुआ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिरीष के फूल को भी इस शैली का उदाहरण कहा जा सकता है।

2. समास शैली- व्यास शैली के विपरीत समास शैली होती है। समास का अर्थ है संक्षेप। समास शैली में विस्तार या फैलाव के स्थान पर कसाव होता है। निबंधकार नपे-तुले शब्दों में विस्तृत विषय को संक्षेप में प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार गागर में सागर भरने का मुहावरा समास शैली के निबंधों पर लागू होता है।

3. धारा शैली- धारा शैली में भावों का प्रवाह पानी की धारा के समान आगे बढ़ता है। अभिव्यक्ति बिना रूकावट के सहज रूप से होती है। निबंधकार इतना भावाकुल रहता है कि निरंतर भाव उसके मानस से व्यक्त होते जाते हैं और उनके अनुरूप भाषा स्वयं बनती चली जाती है। सरदार पूर्णसिंह मजदूरी और प्रेम, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान तथा पवित्रता आदि निबंध धारा शैली के उदाहरण हैं।

4. तरंग शैली- तरंग शैली मेले भावों की गति धारा शैली के समान निर्बाध या बिना रूकावट के नहीं होती। भावाने का प्रकाशन पानी की लहरों के समान होता है, जो ऊपर उठती है, फिर नीचे आती है और अटक-अटक कर आगे बढ़ती है।

5. विक्षेप शैली- धारा शैली के विपरीत शैली में भावाले की अभिव्यक्ति अनियमित हो जाती है। भावों के प्रकट होने में अवरोध को अनुभव होता है। जटिल मनःस्थितियों को प्रकट करने के लिए निबंधकार इस शैली का आश्रय लेते हैं। बाबू बालमुकुंद गुप्त ने शिवशंभू के चिट्ठे' शीर्षक से कई निबंध लिखे हैं।

आलोचना

आलोचना का अर्थ है कि किसी भी साहित्यिक रचना को अच्छी तरह देखना या परखना तथा परखकर उसके गुण-दोषों का निर्णय करना। आलोचना को समालोचना भी कहते हैं। 'समीक्षा' शब्द भी इसके लिए प्रयोग में लाया जाता है।

आलोचना एक विचार-प्रधान गद्य विद्या है। जब साहित्य या साहित्यकार का इस प्रकार विवेचन किया जाता है कि पाठक उस रचना के विभिन्न पक्षों से परिचित हो सकें, उसके गुण-दोषों को समझ सकें तथा रचनाकार की दृष्टि को भी जान सकें तो यह आलोचना या समालोचना कहलाएगी। साहित्य की आलोचना लिखने वाले या आलोचना करने वाले ममर्श व्यक्ति को आलोचक, समालोचक या समीक्षक कहा जाता

है। ड्राइडन के अनुसार- "आलोचना ऐसी कसौटी है, जिसकी सहायता से किसी कृति का मूल्यांकन किया जाता है।" यदि हम साहित्य को जीवन की व्याख्या मानें तो आलोचना को उस व्याख्या की व्याख्या मानना पड़ेगा।

आलोचना के प्रकार

आलोचना में किसी रचना के बारे में आलोचक अपना निर्णय दे सकता है। वह यह बता सकता है कि वह रचना अच्छी है या उसमें कमियाँ हैं। आलोचक यह भी कर सकता है कि वह रचना को अच्छी या बुरी न कहें, वह रचना की केवल व्याख्या प्रस्तुत कर दे जिससे आलोचना का पाठक रचना के गुण-दोष को स्वयं समझ सके। इस प्रकार आलोचना दो प्रकार की हो जाती है- निर्णयात्मक तथा व्याख्यात्मक।

आलोचना में समालोचक व्यक्तिगत राय के आधार पर किसी रचना का विश्लेषण नहीं करता, न व्यक्तिगत राय के कारण वह उसे अच्छी या बुरी बताता है। आलोचना में रचना को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए वैज्ञानिक और तार्किक पद्धति अपनाई जाती है। पद्धति के आधार पर आलोचना के कई प्रकार हो सकते हैं- प्रभावादी आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना आदि।

नाटक अथवा रूपक

दृश्य काव्य या दृश्य साहित्य का ही दूसरा नाम रूपक है। जिसका रूप मंच पर प्रदर्शित किया जा स साहित्य की ऐसी विद्या रूपक है। इसका मंच पर अभिनय (अभिनय) किया जाता है, इसलिए इसको नाटक भी कहते हैं।

नाटक के तत्व

भारतीय परंपरा के अनुसार नाटक (रूपक) के निम्नलिखित तत्व गिनाए गए हैं-

1. कथावस्तु- कथावस्तु या कहानी। इसे इतिवृत्त भी कहते हैं। कथावस्तु दो प्रकार की होती है- मुख्य और प्रासंगिक। रामायण की कहानी पर नाटक लिखा जाए तो उसमें राम का वनवास, सीताहरण, रावणवध इस प्रकार के कथा कहलाएंगे। इनके साथ मंथरा और कैकेयी का संवाद, जटायु का वध- इस प्रकार के प्रसंग प्रासंगिक कथा के अंग होंगे।

2. **पात्र-** नाटक के नायक, नायिका तथा अन्य सभी चरित्र पात्र कहे जाते हैं।

3. **रस-** नाटक से प्राप्त होने वाली सौंदर्यात्मक अनुभूति रस हैं।

4. **अभिनेयता-** नाटक रंगमंच पर खेलने के लिए होता है। अभिनेता अपनी वाणी, शरीरिक चेष्टा, वेश-भूषा आदि के द्वारा उसे प्रस्तुत करता है। यह प्रस्तुति नाटक को अभिनय है। प्रत्येक नाटक में अभिनेयता होनी चाहिए।

5. **संगीत, गीत तथा नृत्य-** नाटक की प्रस्तुति में अभिनय के साथ आवश्यकतानुसार इन तत्वों का प्रयोग किया जाता है।

6. **कथावस्तु या कथानक-** नाटक का कथानक ऐतिहासिक, पौराणिक, धार्मिक, सामाजिक या काल्पनिक हो सकता है। भारतीय नाट्य चिंतन में कथावस्तु के विकास की पाँच अवस्थाएँ मानी गई हैं- प्रारंभ, यत्न, प्रत्याशा, नियतासि, फलागम।

आधुनिक काल में सामान्य तौर पर कथानक के विकास की चार स्थितियों- आरंभ, विकास, संघर्ष, तथा चरम सीमा स्वीकार की गई हैं। परंतु आजकल के नाटकों में कथानक के विकास का यह क्रम टूट रहा है।

7. **चरित्र-चित्रण-** नाटक में नायक, प्रतिनायक, नायिका, आदि पात्र होते हैं। बिना पात्र के कोई नाटक संभव नहीं है।

8. **संवाद या कथोपकथन-** जिस प्रकार नाटक बिना पात्र या चरित्र के नहीं हो सकता उसी प्रकार इन पात्रों में परस्पर संवाद या बातचीत के बिना भी नाटक संभव नहीं है। संवाद दो प्रकार के होते हैं- स्वगत तथा प्रकट। स्वगत कथन का आशय है कोई पात्र अपने मन में जो कुछ सोचता है, उसे पात्र के मुह से कहलवाना।

मंचन के समय यह मान लिया जाता है कि किसी भी पात्र के स्वगत कथन को नाटक का कोई दूसरा पात्र नहीं सुन रहा है, केवल दर्शक उसे सुन रहे हैं। प्रकट कथन मंच पर खड़े किसी दूसरे पात्र को या कई पात्रों को संबोधित होता है और इसे संबोधित पात्र या पात्रों के अलावा दूसरे पात्र भी सुन सकते हैं।

9. **देश-काल और वातावरण-** जिस प्रकार की कथावस्तु नाटक में ली गई है, उसके अनुसार वै काल तथा वातावरण का चित्रण नाटककार को करना चाहिए। यह पाने के रहन-सहन, वेश-भूषा और रीति-रिवाज आदि के द्वारा संभव है।

10. **भाषा-शैली-** नाटक के संवाद किसी न किसी भाषा में ही होते हैं। नाटक की भाषा पात्र, कथा तथा देश- काल और वातावरण के अनुरूप होती है।

11. **उद्देश्य-** नाटक एक ऐसी विधा है, जिसका प्रदर्शन कई लोग एक साथ देखते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि नाटक समाज के लिए किसी प्रयोजन की पूर्ति करें। प्रत्येक नाटक में नाटककार दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहता है या नाटक के माध्यम से उनका ध्यान किसी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता है।

12. **रंगनिर्देश-** अभिनेताओं के लिए नाटक की प्रस्तुति के समय कब क्या करना है, इस प्रकार के निर्देश रंगनिर्देश कहे जाते हैं।

ग्रीक परंपरा में नाटक के निम्नलिखित तत्व माने गए हैं- कथावस्तु, पात्र, कथोपकथन (संवाद), देश-काल, उद्देश्य तथा शैली।

ग्रीक परंपरा में नाटक में तीन प्रकार की अन्विति (एकता) भी जरूरी मानी गई है- देश या स्थान की अन्विति, काल या समय की अन्विति तथा कार्य या घटनाओं की अन्विति। इसे संकलन-त्रय भी कहा जाता है।

नाटकों का विभाजन अंकों तथा दृश्यों में किया जाता है। अंकों की संख्या की दृष्टि से नाटक दो प्रकार के होते हैं- एकांकी नाटक तथा अनेकांकी नाटक।

अनेकांकी नाटक - अनेकांकी नाटक को पूर्णाकार नाटक भी कहते हैं। इसमें कम से कम दो अंक होते हैं। पूर्णाकार नाटक को केवल नाटक भी कहा जाता है। इसका विभाजन कई अंकों में होता है। एक अंक के भीतर कई दृश्य रह सकते हैं। एकांकी नाटक में एक ही अंक होता है, जिसमें एक या अनेक दृश्य हो सकते हैं।

एकांकी नाटक- पुराने नाटकों में प्रहसन, भाण आदि रूपक एक अंक के होते थे। आधुनिक भाषाओं में एकांकी नाटक, नाटक की एक स्वतंत्र विधा मानी जाती है। एकांकी नाटक में

केवल एक अंक होता है। इस एक अंक को कई दृश्यों में विभाजित किया जा सकता है। एकांकी नाटक में जीवन की कोई एक घटना, एक परिस्थिति, एक समस्या या कोई एक प्रसंग प्रस्तुत किया जाता है। ऊपर तीन प्रकार की अन्विति (एकता) बताई गई हैं। एकांकी नाटक में सामान्यतया ये तीनों प्रकार की अन्वितियों होती हैं।

एकांकी तथा नाटक में अंतर जो अंतर कहानी और उपन्यास में हैं, या जो अंतर महाकाव्य और खंडकाव्य में हैं, वहीं अंतर एकांकी तथा नाटक में समझना चाहिए। नाटक की तुलना में एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। इसमें घटनाओं या पूर्वी पर प्रसंगों की भी विविधता इतनी नहीं होती जितनी नाटक में। एकांकी में किसी घटना या प्रसंग की ही मार्मिक प्रस्तुति करके समग्र प्रभाव उत्पन्न किया जाता है।

गीति नाट्य- गीति नाट्य के समान ही काव्य नाटक में सारे संवाद पद्य में या कविता में रहते हैं। धर्मवीर भारती को अंधायुग, नरेश मेहता का संशय की एक रात, दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपायी, भारतभूषण अग्रवाल का अग्निभोक आदि इसके उदाहरण हैं।

रेडियो रूपक- रेडियो रूपक नाटक की नई विधा है। इसमें दृश्य तत्व नहीं होता। संवादों के साथ विभिन्न प्रकार की पार्श्व ध्वनियों की प्रस्तुति की जाती है कि श्रोता दृश्य की कल्पना कर सकें। इसे ध्वनिरूपक भी कहते हैं। सुमित्रानंदन पंत का रजतशिखर, भगवतीचरण वर्मा का तारा आदि इसके उदाहरण हैं। चिरंजीव के रेडियो नाटक भी लोकप्रिय रहे हैं।

नृत्य-संगीत- काव्य रूपक नृत्य-संगीत-काव्य-रूपक या बैले में सारे संवाद परदे के पीछे से प्रस्तुत किए जाते हैं। ये संवाद कविता या गीतों में होते हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी तथा इस प्रकार के अन्य महाकाव्यों और खंडकाव्यों को बैलों के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा है।

संस्मरण

संस्मरण का अर्थ है सम्यक् (भलीभांति) स्मरण (याद करना)। किसी स्मरणीय व्यक्ति या घटना की यादों को लेकर किया गया संस्मरण के लिए लेखक का स्मरणीय व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत संबंध होना आवश्यक है। यह आत्मपरक हुआ करता है। लेखक उत्तम पुरुष (में, हम) का प्रयोग करता हुआ

व्यक्ति या घटना का वर्णन करता है। राहुल सांकृत्यायन का शांति निकेतन में संस्मरण का अच्छा उदाहरण है। महादेवी वर्मा ने 'पथ के साधी' शीर्षक पुस्तक में अपने समय के साहित्यकारों पर मार्मिक संस्मरण लिखे हैं। रामवृक्ष बेनापुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी के संस्मरण भी प्रसिद्ध हैं।

रेखाचित्र

रेखाचित्र मूल रूप से चित्रकला का शब्द है। रेखाओं के द्वारा बना हुआ रेखाचित्र है। चित्र में रेखाएं जो काम करती हैं, वहीं काम साहित्य में शब्द करते हैं। जब लेखक शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का इस प्रकार वर्णन करता है कि आँखों के आगे उस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का चित्र खिंचता चला जाए, तो इसे रेखाचित्र कहते हैं। इसका दूसरा नाम शब्दाचित्र भी है। रेखाचित्र की विशेषता यह होती है कि इसमें साहित्यकार अपनी कल्पना या अनुभूति का अलग से कोई रंग नहीं भरता, जिस व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का वर्णन करना है, उसका हू-ब-हू चित्र अंकित कर देता है। संस्मरण और रेखाचित्र दोनों में ही वर्णन विषय काल्पनिक न होकर यथार्थ होता है। पर संस्मरण में आत्मपरकता अधिक होती है और रेखाचित्र में कम।

जीवनी

जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति का जीवन चरित प्रस्तुत करता है। इसमें प्रायः उस व्यक्ति की जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाएं होती हैं। इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, कृतित्व तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन रहता है। संस्मरण तथा रेखाचित्र के समान इसका विषय भी काल्पनिक न होकर यथार्थ हुआ करता है। जीवनी न इतिहास है और न उपन्यास। पर इन दोनों विधाओं की विशेषताएं इसमें समाहित हो जाती हैं।

हिंदी में लिखी गई जीवनीयों के कुछ श्रेष्ठ उदाहरण हैं- अमृतराय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी 'कलम का सिपाही', रामविलास शर्मा रचित महाकवि निराला की जीवनी 'निराला की साहित्य-साधना' और विष्णु प्रभाकर कृत बेंगला के प्रसिद्ध साहित्यकार शरतचंद्र की जीवनी 'आवादा सिपाही' आदि।

आत्मकथा

जीवनी का एक रूप आत्मकथा है। लेखक उत्तम पुरुष का प्रयोग करते हुए अपनी जीवनी लिखता है तो वही आत्मकथा बन जाती है। हिन्दी में लिखी गई कुछ आत्मकथाओं के उदाहरण हैं- डॉ राजेंद्रप्रसाद की आत्मकथा, राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन-यात्रा, यशपाल का सिंहावलोकन, हरिवंशराय बच्चन की 'क्या भूलें, क्या याद करूँ', 'नीड़ का निर्माण फिर', 'बसेरे से दूर' और 'दस द्वार से सोपान तक' शीर्षक से चार खंडों में प्रकाशित आत्मकथा।

यात्रा-वृत्तांत

यात्रा-वृत्तांत संस्मरण और रेखाचित्र से मिलती-जुलती विधा है। इसमें लेखक अपनी किसी यात्रा का रोचक वर्णन करता है, जिससे जिस स्थान की यात्रा की गई है, उसको ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विशेषताओं से पाठक परिचित होते हैं। यात्रा-वृत्तांत के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित पुस्तकों के नाम गिनाए जा सकते हैं- राहुल सांकृत्यायन की 'मेरी यूरोप यात्रा', 'मेरी तिब्बत यात्रा', तथा अज्ञेय की - 'अरे! यायावर रहेगा याद'।

रिपोर्टाज

रिपोर्टाज एक नवीन विधा है। रिपोर्टाज मूलरूप से फ्रेंच भाषा शब्द है। हाल में ही घटी तथा लेखक के द्वारा प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं का अंतरंग अनुभव के साथ किया गया वर्णन रिपोर्टाज है। अंग्रेजी में इसी से मिलता-जुलता शब्द रिपोर्ट है, पर रिपोर्ट सूचनात्मक होती है। रिपोर्टाज में किसी घटना का वर्णन लेखक के व्यक्तित्व के स्पर्श से आकर्षक बन जाता है। हिंदी के कुछ उल्लेखनीय रिपोर्टाज हैं- फणीश्वरनाथ रेणु का 'दृण जल धन जलः, धर्मवीर भारती का 'ब्रह्मपुत्र के मोर्चे पर' आदि।

डायरी-लेखन

डायरी को रोजनामचा, दैनिकी या दैनंदिनी भी कहा जाता है। कोई लेखक प्रतिदिन घटी हुई घटनाओं, अनुभवों और प्रतिक्रियाओं को अपनी नोटबुक में अंकित करता है तो उसमें डायरी बनती है। इसमें संस्मरण, निबंध, यात्रावृत्तांत आदि अनेक विधाओं की विशेषताएं घुलमिल जाती हैं। लेखक की

व्यक्तिगत अनुभूतियों या विचारों की छाप इसमें सदैव बनी रहती है। मोहन राकेश, शमशेरबहादुर सिंह, त्रिलोचन आदि अनेक साहित्यकारों ने डायरियों लिखी हैं, जो पुस्तकाकार प्रकाशित हैं।

पत्र-साहित्य

पत्र एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को लिखे जाते हैं। इसमें लेखक अपने मन की बात खोलकर कहता है। कभी-कभी ऐसे पत्र साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान तथा समाज के लिए एक धरोहर बन जाते हैं। केदारनाथ अग्रवाल तथा रामविलास शर्मा ने एक दूसरे को जो पत्र लिखे थे, वे मित्र संवाद पुस्तक में प्रकाशित हैं। नेमिचंद्र जेन और मुक्तिबोध के बीच हुआ पत्र व्यवहार पाया पत्र तुम्हारा' शीर्षक पुस्तक में सामने आया है।

साक्षात्कार

साक्षात्कार भी एक आधुनिक गद्य विधा है। इसे भेंटवार्ता भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए इंटरव्यू शब्द का प्रयोग होता है। यह विधा मूल रूप से पत्रकारिता की देन है। पर साहित्य में इसने अब स्थान बना लिया है। किसी विशिष्ट व्यक्ति से जीवन, कला, साहित्य, संस्कृति या उसकी अपनी रचनाओं अथवा कार्यों पर बातचीत साक्षात्कार है।

फ़ीचर

फ़ीचर अंग्रेजी का शब्द है। इसके अर्थ हैं- रूपक, मुखाकृति, नाट्यरूपक तथा आकृति। फ़ीचर का उपयोग साहित्य, पत्रकारिता, रेडियो, तथा सिनेमा में होता है। यह आधुनिक गद्य विधा है। इसमें किसी घटना या दृश्य का मनोरंजक वर्णन किया जाता है और ये घटनाएं और दृश्य कहानी के प्रसंगों की तरह पाठक के चित्त में झलक उठते हैं। फ़ीचर सच्ची घटना पर आधारित होते हैं।

शब्द-शक्ति विवेचन

'शब्द' भाषा में इस्तेमाल होने वाली सबसे छोटी सार्थक इकाई है। शब्द या शब्द समूह में जो अर्थ छिपा रहता है उसे प्रकट करने वाली शक्ति ही शब्द-शक्ति है। ये तीन प्रकार की होती है-

1. अभिधा

किसी शब्द के मुख्य अर्थ (निश्चित अर्थ) से जिस शक्ति से बोधा होला है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। अभिधा जिस अर्थ को बताती है, वह वाच्य अर्थ अभिधेय अर्थ कहलाता है। जैसे-

वह तोड़ती पत्थर
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर

2. लक्षणा

मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया या शक्ति से मुख्य अर्थ से सम्बन्धा रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। लक्षणा के तीन नियम हैं:-

1. इसमें मुख्य अर्थ या अभिधेय अर्थ लागू नहीं होता।
2. मुख्य अर्थ के बाधित होने पर दूसरा अर्थ लिया जाता है, परन्तु यह दूसरा अर्थ अनिवार्य रूप से मुख्य अर्थ से संबन्धित होता है।
3. मुख्य अर्थ के स्थान पर दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई रूढ़ि होती है या प्रयोजन।

जैसे- वह तो पूरा बैल हैं।

यहाँ स्पष्ट हैं कि मनुष्य बैल नहीं हो सकता परंतु दूसरा अर्थ लेने पर विदित होता है कि बैल शब्द का प्रयोजन मूर्ख से हैं।

4. व्यंजना

कविता का ऐसा गूढ़ अर्थ जो अभिधा या लक्षणा से न जाना जा सके, अथवा जिस शब्द शक्ति द्वारा व्यंग्यर्थ का बोधा होता है उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। व्यंजना के कारण साहित्य में सौन्दर्य तथा भावों में गहनता आती है।

जैसे- जो बच्चा रोज 10 बजे स्कूल जाता हो, वह दस बजे से थोड़ा पहले यदि अपनी माँ से कहे कि 'दस बजने वाले हैं' तो व्यंजना से इस वाक्य का अर्थ होगा- मेरे स्कूल जाने का समय हो गया है।

बिंब

हिंदी में बिंब शब्द का प्रयोग, अंग्रेजी के 'इमेज' के पर्यायवाची के रूप में होता है। हमारे शरीर में स्रोत (कान), त्वक (त्वचा), चक्षु (आँख), जिह्वा (जीभ) तथा नासिका ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर बिंब के पाँच प्रकार हैं- श्रव्य, स्पृश्य, दृश्य, स्वाद्य और घ्राण।

जब साहित्यकार अपनी रचना में वस्तुओं के अनुभव को इस प्रकार मूर्त करता है कि वह हमें अपनी ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव के समान प्रतीत होने लगे तो यह बिम्ब कहलाता है। साहित्य में बिंब किसी भी मूर्त या अमूर्त पदार्थ का मानसिक चित्र है। इसे भावगर्भित शब्द चित्र भी कहा गया है। जैसे-

सिन्धु सेज पर धारा वधू अब तनिक संकुचित बैठी-सी
प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए-सी ऐंठी सी

(उपर्युक्त छंद में सेज, वधू, निशा, आदि बिंब हैं।)

प्रतीक

प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है-अवयव अंग, पता चिह्न, निशान, किसी पद्य अथवा गद्य के आदि या अंति के कुछ शब्द लिखकर या पढ़कर उस पूरे वाक्य का पता लगाना, अथवा एक वस्तु की पहचान के लिए हम दूसरी वस्तु का प्रयोग करते हैं और यह दूसरी वस्तु पहली वस्तु को बताने के लिए सर्व स्वीकृत होती जाती है, तो वह पहली वस्तु का प्रतीक बन जाती है। जैसे-

ऐ नभ की दीपावलियों तुम क्षण पर भर को बुझ जाना
मेरे प्रियतम को माना है तम के पर्दे में आना

यहाँ नक्षत्रों को जीवंत मान कर अनुरोध किया गया है।

छंद विवेचन

मात्राओं या वर्षों की रचना, गति तथा यति (विराम) का नियम और चरणांत में समता जिस कविता में पाई जाय उसे छंद कहते हैं। परंतु चरणांत में समता को अधिक महत्व नहीं दिया जाता।

छंद के तत्व

***यति**- यति का अर्थ रूकना। प्रत्येक छंद में कुछ निर्धारित स्थलों पर पढ़ते समय रूकना होता है जिससे छंद का प्रवाह या लय बनी रहे।

* **गति**- जहाँ यति नहीं होती वहाँ बिना रूके छंद का पाठ करना ही गीत है।

* **लय**- गीत व युति को समुचित प्रयोग से लय उत्पन्न होती है।

मात्र किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय मात्र है। ह्रस्व वर्ण में एक व दीर्घ में दो मात्र होती है। दोहा, चौपाई, सोरठा, हरिगीतिका आदि छंद के रूप है।

अलंकार

दण्डी ने अलंकारों के काव्य शोभा का विधायक धर्म माना है। 'काव्यशोभाकरान् धार्मान् अलंकारान् प्रचक्षते।' काव्य में शब्द और अर्थ का सहभाव होता है। इसलिए अलंकार शब्द और अर्थ दोनों की शोभा वृद्धि करते हैं। शब्द और अर्थ एक दूसरे के पूरक हैं। अर्थात् 'अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकारों के दो भेद होते हैं-

1. शब्दालंकार
2. अर्थालंकार

शब्दालंकार: जहाँ शब्दों के कारण कविता में चमत्कार तथा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके भी सात भेद होते हैं जिनमें मुख्यतः चार हैं:-

1. अनुप्रास अलंकार
2. यमक अलंकार
3. श्लेष अलंकार
4. वक्रोक्ति अलंकार

अनुप्रास अलंकार वर्णों की समानता (आवृत्ति) का नाम अनुप्रास है। वर्णों की समानता से तात्पर्य यहाँ व्यंजनों की समानता से है। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ है-अनुकूल और प्रकृष्ट सन्निवेश। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है, वहाँ अनुप्रास होता है। जैसे-

चारूचन्द्र की चंचल किरणों,
खेल रही हैं जल थल में।

यमक अलंकार- जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवें और प्रत्येक स्थान पर भिन्न-भिन्न अर्थ दे वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे-

कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाया
वा खाए बौराए जग, या पाये बौराए।

यहाँ कनक शब्द दो बार आया है। दोनों का अर्थ अलग है, पहले कनक का अर्थ है- धतूरा, दूसरे का अर्थ है- सोना।

श्लेष अलंकार- श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ यहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे-

रहिमन पानी राखिए, बिना पानी सब सूना
पानी गए न उबरे, मोति, मानस चून ॥

यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं- मोती के साथ कांति, मनुष्य के साथ इज्जत और चूने के साथ जल। पानी का एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है।

वक्रोक्ति अलंकार- जहाँ बात किसी एक आशय से कही और सुनने वाला उससे भिन्न या दूसरा अर्थ लगा ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे-

गौरवशालिनी प्यारी हमारी,
सदा तुमही इक इष्ट अहो।
हो न गऊ, नहि हों अवशा,
अलिनीहँ नही अस काहे कहो॥

स्पष्टीकरण- शिव पार्वती से कह रहे हैं- "हे गौरवशालिनी प्रिये, तम्ही हमारी सदा के लिए इष्टदेवी हो।" पार्वती जी गौरवालिनी शब्द को तीन टुकड़ों में भंग कर देती है- एक गौ (गाय), अवशा (वसा रहित), अलिनी (भ्रमरी) और कहती हैं- मैं न गौड हूँ न आवसा है, न अलिनी हूँ। फिर आप मुझे गौरवशालिनी क्यों कह रहे हैं। यहाँ पार्वती ने शिव के अभीष्ट अर्थ से भिन्न अर्थ लिया।

अर्थालंकार- जहाँ अर्थ के कारण कविता में चमत्कार तथा सौंदर्य आ जाता है। वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार निम्न भेद हैं-

उपमा-जहाँ एक वस्तु की समता (तुलना) दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ। उपमा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में गुण आदि के सादृश्य का प्रतिपादन हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा का शाब्दिक अर्थ है- उप (समीप) मा (मापना/तौलना) जहाँ दो भिन्न पदार्थों (उपमेय और उपमा) को समीप लाकर उनकी तुलना जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा के चार अंग होते हैं-

1. उपमेय-जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान- जिससे उपमा दी जाए वह उपमान है।
2. साधारण धर्म- उपमेय और उपमान के मध्य समान गुण।
3. वाचक शब्द-उपमेय और उपमान के मध्य समानता बताने वाला शब्द।

रूपक अलंकार- जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध-रहित आरोप होता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। आरोप का अर्थ है एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ इस प्रकार रखना कि दोनों का अभेद हो जाये। इस प्रकार रूपक में उपमेय और उपमान का अभेद दिखाया जाता है। उपमा में दोनों का सादृश्य दिखाया जाता है और रूपक में दोनों का अभेद। जैसे-

अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन किया जाये वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे-

**हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आगा।
लंका सिंगरौ जल गई, गए निसाचर भागा।।**

हनुमान की पूँछ में आग लग न पाई और लंका जल गई। यह अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन है अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है।

संदेह अलंकार- जहाँ किसी वस्तु को देखकर संकाय बना रहे, निश्चय न हो वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे-

**सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है।
सारी ही कि नारी है, कि नारी ही की सारी है।।**

उपर्युक्त दोहे में साड़ी और स्त्री (नारी) के बीच कोई भेद स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और दोनों के बीच संदेह बराबर बना रह रहा

है कि कौन स्त्री है? और कौन वस्तुगत साड़ी है। इसलिए यहाँ संदेह अलंकार होगा।

भ्रान्तिमान अलंकार- जहाँ समता के कारण किसी वस्तु में (उपमेय) अन्य वस्तु का (उपमान) भ्रम हो जाए वहाँ भ्रान्तिमान अलंकार होता है।

विरोधाभास अलंकार जहाँ दो विरोधी पदार्थ का संयोग एक साथ दिखाया जाये तब विरोधाभास अलंकार होता है।

**या अनुरागी चित्त की, गत समुद्रों नहिं कोया
ज्यों-ज्यों बूड़ें श्याम-रंग, त्यों-त्यों उज्वल होय ॥**

भक्त का चित्त घनश्याम के काले रंग में ज्यो-ज्यों डूबता है, त्यों-त्यों वह सफेद होता जाता है। काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाती है। उजली नहीं। इस प्रकार श्वेत और श्याम का संयोग दिखाने के कारण विरोधाभास अलंकार है।

रस

रस का अर्थ है 'आनंद'। रस की अनुभूति को ही रसानुभूति, आनंदानुभूति अथवा सौंदर्यानुभूति कहते हैं। तीसरी शताब्दी में भरतमुनि ने रस को स्पष्ट करते हुए कहा- "विभावनुभाव व्यभिचार संयोगादि रस निष्पत्ति" अर्थात् विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के प्रारंभिक विकास में भरतमुनि ने केवल आठ प्रकार के रसों की स्थापना की किन्तु अब रसों की संख्या 10 मानी गई है।

1. **विभाव-** विभाव का अर्थ होता है- रसानुभूति के कारण। सहृदय के हृदय में स्थित स्थाई भाव को आस्वादन योग्य बनाने वाले उपादानों को विभाव कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं-

आलंबन- जिस वस्तु या व्यक्ति के कारण स्थाई भाव जागृत होता है उस आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे-नायक, नायिका, प्रकृति आदि।

उद्दीपन- स्थाई भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे नायिका का रूप सौंदर्य।

आश्रय- जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं।

2. **अनुभाव** - रति, हास, शोक आदि स्थायी भावों को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं।

ये चेष्टाएं भाव-जागृति के उपरांत आश्रय में उत्पन्न होती हैं इसलिए इन्हें अनुभाव कहते हैं, अर्थात् जो भावों का अनुगमन करे वह अनुभाव कहलाता है।

अनुभाव, भाव के बाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन्हें अनुभाव (भाव का अनुसरण करने वाला) कहते हैं। अनुभाव मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं।

कायिक- कायिक अनुभाव शरीर की चेष्टाओं को कहते हैं। जैसे, हाथ से इशारा करना, निश्वास और उच्छ्वास।

सात्विक- जो शारीरिक चेष्टाएं स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। उन्हें सात्विक भाव कहते हैं।

3. **संचारी भाव-** जो भाव मन के केवल अल्प काल तक संचरण कर के चले जाते हैं वे संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी गयी है - निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, व्रीडा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार (मिर्गी), स्वप्न, प्रबोध, अमर्ष (असहनशीलता), अवहित्था (भाव का छिपाना), उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क।

रस के भेद-

नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत ने आठ रस माने हैं और आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने रसों की संख्या 9 मानी है। आगे चलकर वात्सल्य और भक्ति रस की कल्पना की गई है।

रस का प्रकार

(1) शृंगार रस (2) हास्य रस (3) करुण रस (4) रौद्र रस (5) वीर रस (6) भयानक रस (7) बीभत्स रस (8) अदभुत रस (9) शान्त रस (10) वत्सल रस (11) भक्ति रस

1. **शृंगार रस-** इसका स्थाई भाव 'रति' है। नायक नायिका आलंबन विभाव है। नायक-नायिका, प्रेम चेष्टाएं, आदि इसके

उददीपन है। कटाक्ष, चुम्बन, आलिंगन आदि इसके अनुभाव हैं। हर्ष लज्जा, उत्सुकता आदि संचारी भाव। शृंगार रस के दो भेद हैं-

संयोग शृंगार- नायक नायिका के मिलन के स्थिति में संयोग शृंगार होता है।

वियोग शृंगार- नायक नायिका के मिलन के पश्चात् एवं मिलन से पूर्व की तड़प की स्थिति को वियोग शृंगार कहते हैं।

2. **वीर रस-** इसका स्थाई भाव उत्साह है। 'शत्रु' आलंबन है शत्रु की ललकार, रणवाद्य, अरत्न-शस्त्र की झंकार, चारणों द्वारा किया जाने वाला गौरव गान आदि इसके उदीपन हैं। नेत्र का लाल हो जाना, दर्पयुक्त वाणी, भुजाओं का फड़कना आदि इसके अनुभाव हैं। हर्ष, गर्व, धृति, उग्रता आदि संचारी भाव इसे पुष्ट करते हैं।

3. **रौद्ररस-** इसका स्थाई भाव क्रोध है। शत्रु या शत्रु के समर्थक तथा अन्य कोई व्यक्ति जिस पर क्रोध किया जाए इसके आलंबन है। शत्रु द्वारा कहे गए कठोर वचन या उसके द्वारा किये गए अनिष्ट कार्य इसके उदीपन हैं। नेत्र का लाल हो जाना, होठ काटना, गर्जन तर्जन, कंप, क्रूर दृष्टि से देखना आदि इसके अनुभाव हैं। मद, अमर्ष, उग्रता आदि इसके संचारी भाव इसका पोषण करते हैं।

4. **अदभुत रस-** इसका स्थाई भाव 'विस्मय' (आश्चर्य) है। आलंबन अलौकिक वस्तु या कार्य है। अलौकिक वस्तु को गुण-कीर्तन इसका उदीपन है। स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, गदगद, स्वर, संभ्रम, नेत्र, विकास आदि इसके अनुभाव हैं। वितर्क आवेग, हर्ष आदि इसके संचारी भाव हैं।

5. **बीभत्सरस-** इसका स्थाई भाव 'जुगुप्सा' या घृणा है। मांस, रूधिर, चर्वी वनमन आदि इसके आलंबन हैं। कीड़ों का विलविलाना, पशुओं का मांस नोचना, सँड़ाधा आदि इसके उदीपन हैं। मुँह बिचकाना, नाक सिकोड़ना, थूकना आदि चेष्टाएँ इसके अनुभाव हैं।

6. **भयानक रस-** इसका स्थाई भाव भय है। भयानक वस्तु, बलवान आदि इसके आलंबन हैं। निर्जनता, अपरिचित आवाजें, आलंबन का टटाहस आदि क्रियाएँ उदीपन का कार्य करती हैं। चीखना- चिल्लाना, घिग्घी बँधा जाना, भागना

आदि अनुभाव है। शंका, चिन्ता, त्रस, आवेग, आदि संचारी भाव हैं।

7. शांतरस- इसका स्थाई भाव निर्वेद अथवा शम है। संसार की असारता का बोधा, परमात्मा-चित्तन आदि इसके आलंबन हैं। पवित्र तीर्थ, सत्संग, शास्त्र-चित्तन आदि इनके उद्दीपन है। हर्ष, स्मृति, मति आदि इसके संचारी भाव हैं। रोमांच, संसार-भीरुता आदि इसके अनुभाव है। तत्व ज्ञान से प्राप्त निर्वेद ही शांतरस का स्थाई भाव है।

8. वात्सल रस- इसका स्थाई भाव 'वात्सल्य प्रेम' है। बालक आलम्बन है। बालक की चेष्टायें उद्दीपन है। अंग स्पर्श, चुम्बन, रोमांच आदि अनुभाव है। हर्ष, गर्व, चिन्ता, आशंका आदि संचारी भाव है। 'वात्सल रस' को इस इलए मान्यता दी गई है कि इसका चमत्कार अन्य रसों से भिन्न है।

9. करुण रस- इसका स्थाई भाव 'शोक' है। स्वजनों का पराभव या किसी भी व्यक्ति की हीनावस्था या विनष्ट व्यक्ति इसके आलंबन है। प्रिय जनों का दाह कर्म, उनके वस्त्रभूषणादि का दृश्य तथा उनके कार्यों को श्रवण उद्दीपन है। रोदन, उच्छ्वास, विवर्णता, भूमि-पतन, आदि इसे अनुभाव है। निर्वेद, ग्लानि, स्मृति, दैन्य, चिन्ता, जड़ता, आदि इसके संचारी भाव है।

मिथक

हिंदी में 'मिथक' शब्द अंग्रेजी शब्द 'मिथ' के पर्याय रूप में प्रयुक्त होता है। मिथ शब्द यूनानी भाषा के 'माइथॉस' से निष्पन्न है जिसका अर्थ है- 'आप्तवचन' अर्थात् अतर्क्य कथन। हिंदी में मिथक शब्द स्वयं में आधुनिक युग की देन है।

'मिथक' आदिम विश्वासों पर आधारित ऐसे आख्यान हैं जिनकी घटनाएँ और चरित्र प्रायः मानवेतर और तर्कातीत होते हैं लेकिन किसी सांस्कृतिक समाज के सामूहिक मन पर उसकी जड़ें गहरे समाई रहती हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव द्वारा कल्पित और सृजित ये आख्यान कालांतर में प्रकृति, इतिहास, सामाजिक-सांस्कृतिक द्वंद्व और विकास के समानांतर विकसित, परिवर्तित, परिवर्द्धित होते हुए मनुष्य की जातीय अस्मिता या सांस्कृतिक पहचान के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। वस्तुतः मिथक आदिम मनुष्य का यथार्थ है, जबकि साहित्य

सभ्य मनुष्य का यथार्थवाद है जिसमें उसका अपना उद्देश्य और दृष्टिकोण भी समाहित है। साहित्य मिथक नहीं है परंतु साहित्य में मिथका का साभिप्राय प्रयोग होता है।

मुक्तिबोध की कविताओं में मिथकीय प्रतीकों, सपनों का अधिकांश प्रयोग किया गया है। उनकी प्रत्येक कविता भूतप्रेत, ब्रह्मराक्षस, भैसें, पशु-पक्षी, पेड़-पौधों आदि से विन्यस्त नया मिथक रचती है। मुक्तिबोध के मिथक छोटी-छोटी इकाइयों में विभक्त रहते हैं, फिर उनकी टकराहट एक व्यापक यथार्थ की अभिव्यक्ति करती है।

दिनकर का 'कुरूक्षेत्र', धर्मवीर भारती का 'अंधायुग', 'कनुप्रिया', नरेश मेहता का संशय की एक रात', नागार्जुन का 'भस्मासुर', दुष्यंत कुमार का 'एक कंठ विषपायी' जैसे रचनाएँ मिथक के कलेवर में कई प्रकार की समकालीन समस्याओं की जटिलता का विश्लेषण करती हैं।

फैंटेसी

काव्यशास्त्र में 'फैंटेसी' शब्द यूनानी भाषा के 'फैंटेसिया' से बना है, जिसका अर्थ होता है- कोरी कल्पना, तृष्णा, कपोल कल्पना, भ्रम, दिवास्वपन आदि।

मानविकी कोश के अनुसार – 'फैंटेसी स्वप्न चित्र मूलक साहित्य है, जिसमें असंभाव्य संभावनाओं का प्राथमिकता दी जाती है।' फ्रायड के अनुसार – "काव्य में शब्द बद्ध होने की प्रक्रिया फैंटेसी है।"

डॉ. बच्चन सिंह के अनुसार – 'फैंटेसी मनोविज्ञान का शब्द है इसका संबंध स्वप्न और अवचेतन मन से घटित होनेवाली घटनाओं की विघटित और बेतरतीब बिंबावालिओं से है। साहित्य या काव्य में यह तकनीक के रूप में प्रयुक्त की जाती है।"

फैंटेसी की विशेषताएँ-

- फैंटेसी कल्पना पर आधारित होती है।
- फैंटेसी बेतरतीब होती है।
- फैंटेसी अवचेतन में घटित होती है।
- फैंटेसीमन की द्वंदों को चित्रित करने की एक साहित्यिक तकनीक है।

- फैंटेसी अवचेतन में घटित होने वाली घटनाओं का बिंब है।
- मुक्तिबोध ने कानायानी को एक फैंटेसी माना है।
- यथार्थ से पलायन, स्वप्नों की दुनियाँ में खो जाना।
- मुक्तिबोध के अनुसार- दोष युक्त संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण से विचार करना।

कल्पना

कल्पना वह क्रियात्मक मानसिक शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य अनोखी और नई बातों या वस्तुओं की प्रतिमाएँ या रूप-रेखाएँ अपने मानस-पटल पर बनाकर उनकी अभिव्यक्ति काव्यों, चित्रों, प्रतिमाओं आदि के रूप में अथवा और किसी प्रकार के मूर्त रूप में करता है। रचनाशीलता की मानसिक शक्ति, कल्पित करने का भाव, मन की वह शक्ति जो अप्रत्यक्ष विषयों का रूप, चित्र उसके सामने ला देती है।

कहते हैं कि सूर्य की किरणों जहाँ नहीं पहुँच पाती वहाँ कवि की कल्पना पहुँच जाती है वह अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके ऐसे स्थानों पर पहुँच जाता है जहाँ मनुष्य का पहुँचना असंभव है-

जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि!

कल्पना व्यक्ति की सोचने की शक्ति का विकास करती है इसलिए व्यक्ति को सदैव कल्पनाशील रहना चाहिए।

प्राचीन समय में महाकवि कालिदास ने मेघों को दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजा था, यह कवि की कल्पना शक्ति का ही परिचायक है, आधुनिक कवियों में कवि निराला का प्रिय विषय बादल ही रहा है, कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने तो मेघों को अतिथि मानकर 'मेघ आए' कविता की रचना कर डाली।